कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1603 /FP/UK/ROAD/126434/2021 :देहरादूनः दिनांकः 02/01/ ~~दिसम्बर~~, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–कण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/126/2021/एफ0सी0/1282 दिनांकः–28.12.2021

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विशयक सन्दर्भित पत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय सूचना चाही गयी है। वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 1562/12–1(1) दिनांक 29.12.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र.सं0	आपत्ति	निराकरण
1	As per DSS analysis of the CA area which is proposed in Degraded Forest Land (DFL), the proposed area is overlapping with proposal no. FP/UK/ROAD/41707/2018. The State Govt. is requested to change the area with some other area suitable for raising CA.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्य उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर संबंधित सूचना ऑनलाईन भाग–। में यथास्थान अपलोड कर दी गई है।
2	It is seen that justification uploaded online in Part-I is sketchy. It is requested to upload a clear/Legibel scanned copy of the justification in Part-I mentioning the distance of the vellage from the existing road.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित प्रतिवेदन ऑनलाईन भाग–। में यथास्थान संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	राज्य शासन लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी का प्रमाण–पत्र ऑनलाईन भाग–। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दिया गया है।
4	In fview of the point No. 01 above, if the revised CA area will be proposed in DFL. State Govt, is request to remove the details from para-L and Part-I which is designated for CA area proposed in Non-forest land.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा गैर वन भूमि उपलब्ध न होने की दशा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु degraded वन भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5	It is seen that details of 83 trees and 15 saplings found uploaded at Para 4 in Part-II. Howeve, in प्रारूप–21 it is submitted that number of trees opposeded to be felled are 37 in 7mtr width. State Govt. may clarify.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण ऑनलाईन भाग–।।। में यथास्थान अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव के प्रारूप–21 में तीन कक्षों (उ0विन्हार–1बी में 20 वृक्ष, उ0विन्हार–2 में 26 वृक्ष एवं उ0विन्हार–3 में 37 में कुल 83 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों में 0–10 व्यास वर्ग के 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 98 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
6	It is seen that estimate of Rs. 22,22,284/- uploaded for road side plantation. It is inform that only CA scheme is applicable.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन भाग–।। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गयी है।
7	Work not start certificate not found uploaded, which is required to be uploaded.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ न होने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति ऑनलाईन भाग–। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गयी है।
8	Site Inspection report (SIR) or DFO and CF uploaded online are not legible and properly scanned. Aclear/legible scanned copy of the SIR of DFO and CF is requested to be uploaded at designated places in Part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति ऑनलाईन भाग–।। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1603 / FP/UK/ROAD/126434/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

02/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C